उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखंड, राँची।

<u>ई–लॉटरी हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया</u>

i. दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों के तहत सम्पन्न करायी जायेगी।

ii. ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'', बिक्री अधिसूचना की शर्त्तें, जिलावार खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों के समूह की विवरणी, आवेदन प्रपत्र, शपथ पत्र इत्यादि का विहित प्रारूप सभी जिला उत्पाद कार्यालय, विभागीय वेबसाइट https://excise.jharkhand.gov.in एवं https://exciselottery.jharkhand.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

iii. ई–लॉटरी हेतु व्यक्ति, HUF, कम्पनी तथा साझेदारी फर्म द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। उक्त कोटि में ऐसे ही आवेदक आवेदन हेतु योग्य होंगे, जो ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 10, 11, 12 एवं 13 के अंतर्गत अर्हत्ता रखते हो।

iv. व्यक्ति द्वारा आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में जमा किये जाने वाले कागजात निम्न है –

क) फोटोयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र

ख) आवेदक का फोटो

ग) आधार कार्ड

घ) पैन कार्ड

ड़) विहित प्रपत्र में भरा हुआ तथा नोटराइज किया हुआ शपथ पत्र

च) **वैयक्तिक पहचान हेतु**, (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस में से कोई एक)

छ) **वर्तमान पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

ज) **पत्राचार पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

झ) क्रियाशील बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ का स्वअभिप्रमाणित प्रति।

ञ) गत वित्तीय वर्ष–2023–24 {कर निर्धारण वर्ष (Assessment year)- 2024-25} का आयकर रिटर्न (ITR), आयकर दाता नहीं होने की स्थिति नियम 12(x) के अनुसार शपथ पत्र

ट) अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरान्त उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा

ठ) वांछित सभी दस्तावेज का पृष्ठ संख्या के साथ निर्देशिका (Index) विवरणी।

v. कम्पनी द्वारा आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में जमा किये जाने वाले कागजात निम्न है–

क) फोटोयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र (निदेशक मंडल के किसी एक निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित)

ख) कम्पनी के सभी निदेशकों का फोटो

ग) कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड

घ) कम्पनी के सभी निदेशकों का पैन कार्ड

ड़) विहित प्रपत्र में भरा हुआ तथा नोटराइज किया हुआ शपथ पत्र

च) **सभी निदेशकों के वैयक्तिक पहचान हेतु** (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस में से कोई एक)

छ) **कम्पनी के सभी निदेशकों के वर्तमान पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

ज) **कम्पनी के सभी निदेशकों के पत्राचार पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

झ) कम्पनी का पैन कार्ड

ञ) कम्पनी/कम्पनी के सभी निदेशकों का क्रियाशील बैंक खाता (Functional Bank Account) के प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित प्रति

ट) कम्पनी एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन (ITR) की प्रति, कम्पनी के निदेशक/निदेशकों के आयकर दाता नहीं होने की स्थिति नियम 12(x) के अनुसार शपथ पत्र,

ठ) कंपनी के विगत तीन वित्तीय वर्षों का मूल्य वर्धित कर (यदि लागू हो)/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित रिर्टन फाईलिंग की प्रति

ड) कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति

ढ) कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) की प्रति

ण) कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की खुदरा विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति

त) कम्पनी का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस सीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account) की प्रति

थ) कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 12/29/32 की प्रति

द) CA द्वारा निर्गत कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख की प्रति

ध) अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरान्त उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा

न) वांछित सभी दस्तावेज का पृष्ठ संख्या के साथ निर्देशिका (Index) विवरणी।

vi. साझेदारी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में जमा किये जाने वाले कागजात निम्न है–

क) फोटोयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र

ख) साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों का फोटो

ग) साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों का आधार कार्ड

घ) साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों का पैन कार्ड

ड़) विहित प्रपत्र में भरा हुआ तथा नोटराइज किया हुआ शपथ पत्र

च) साझेदारी फर्म **के सभी साझेदारों के वैयक्तिक पहचान हेतु (**आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस में से कोई एक)

छ) **साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों के वर्त्तमान पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

ज) **साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों के पत्राचार का पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

झ) साझेदारी फर्म का पैन कार्ड संख्या

ञ) साझेदारी फर्म/फर्म के सभी साझेदारों का क्रियाशील बैंक खाता (Functional Bank Account) के प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित प्रति

ट) निबंधित साझेदारी फर्म द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षो (2021-22, 2022-23 & 2023-24) का आयकर रिर्टन एवं सभी साझेदारों का विगत तीन वित्तीय वर्षो (2021-22, 2022-23 & 2023-24) का व्यक्तिगत आयकर रिर्टन की प्रति एवं यदि आयकरदाता नहीं है, तो नियमावली के नियम 12(x) के अनुरूप शपथ पत्र समर्पित करेंगें।

ठ) नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित निबंधित साझेदारी फर्म से संबंधित विलेख (Deed) की प्रति

ड) चार्टर्ड एकाउंन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित साझेदारी फर्म का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख की प्रति

ढ) अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरान्त उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा

ण) वांछित सभी दस्तावेज का पृष्ठ संख्या के साथ निर्देशिका (Index) विवरणी।

vii. अविभाजित हिन्दु परिवार {HUF} के द्वारा आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में जमा किये जाने वाले कागजात –

क) फोटोयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र

ख) अविभाजित हिन्दु परिवार {HUF} का फोटो

ग) आधार कार्ड

घ) पैन कार्ड

ड़) विहित प्रपत्र में भरा हुआ तथा नोटराइज किया हुआ शपथ पत्र

च) **वैयक्तिक पहचान हेतु**, (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस में से कोई एक)

छ) **वर्तमान पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

ज) **पत्राचार पता हेतु** (पासपोर्ट/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)

झ) क्रियाशील बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ का स्वअभिप्रमाणित प्रति।

ञ) गत वित्तीय वर्ष–2023–24 {कर निर्धारण वर्ष (Assessment year)- 2024-25} का आयकर रिटर्न (ITR), आयकर दाता नहीं होने की स्थिति नियम 12(x) के अनुसार शपथ पत्र

ट) अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरान्त उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा

ठ) वांछित सभी दस्तावेज का पृष्ठ संख्या के साथ निर्देशिका (Index) विवरणी।

viii. ई–लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम लॉटरी पोर्टल, https://exciselottery.jharkhand.gov.in पर निबंधित करते हुए User ID एवं Password सृजित करना होगा।

ix. आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया वेब आधारित है एवं इंटरनेट के माध्यम से की जानी है, इसीलिए आवेदन करते समय आवेदक यह ध्यान रखेंगे कि इन्टरनेट स्पीड कम से कम 2 mbps की हो, ताकि आवेदन सुचारू रूप से किया जा सके।

x. आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले सभी आवश्यक कागजात उसी प्रपत्र एवं साईज लिमिट में होने चाहिए, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल में वर्णित किया गया है।

xi. ई–लॉटरी पोर्टल पर निबंधन करने हेतु आवेदक के पास पैन नम्बर, क्रियाशील मोबाइल नम्बर एवं आधार संख्या आवश्यक है। निबंधन हेतु OTP क्रियाशील मोबाइल पर भेजा जायेगा।

xii. ई–लॉटरी पोर्टल पर निबंधन के उपरांत दुबारा लॉगईन करने हेतु आवेदक स्वयं के द्वारा सृजित User ID एवं मोबाइल पर प्राप्त OTP, जो पासवर्ड के रूप में प्रयुक्त होगा, के माध्यम से लॉगइन कर सकेंगे। प्रथम बार लॉगइन करने के उपरांत आवेदक को अपना नया Password सृजित करना अनिवार्य होगा। भविष्य में सभी लॉगइन के लिए इसी User ID एवं Password का उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक लॉगइन के समय आवेदक को User ID एवं Password के साथ–साथ मोबाइल पर प्राप्त OTP भी सत्यापित करना होगा।

xiii. कोई भी आवेदक जब एक बार अपने दस्तावेज (Document) को अपलोड कर देंगे तब उन्हें दस्तावेजों (Documents) को दुबारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं उसी Document के आधार पर वह एक से अधिक (Multiple) आवेदन समर्पित कर सकेंगे।

xiv. आवेदक को आवेदन करते समय अपना एक बैंक खाता संख्या अंकित करना होगा, जिसके माध्यम से ई–लॉटरी हेतु सभी प्रकार की राशि का आदान–प्रदान आवश्यक होगा। असफल आवेदकों को Refund की जाने वाली राशि आवेदक द्वारा समर्पित बैंक खाते में ही वापस की जायेगी।

xv. सभी आवेदक आवदेन करते हुए अपने आवेदन पत्र की समुचित रूप से जाँच कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाये। गलत कागजात अपलोड करने पर त्रुटि से संबंधित पूरी जिम्मेवारी आवेदक की होगी।

xvi. खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु वांछित आवेदन शुल्क (GST सहित) एवं धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) की प्राप्ति ई–लॉटरी पोर्टल (https://exciselottery.jharkhand.gov.in) के माध्यम से की जायेगी।

xvii. प्रत्येक आवेदक (व्यक्ति/HUF/साझेदारी फर्म/कम्पनी) आवेदन प्रपत्र, आवेदक की श्रेणी के अनुसार समर्पित की जाने वाली दस्तावेजों की निर्देशिका, अधिकृत प्रतिनिधि का बायोडाटा एवं शपथ पत्र आवेदन के साथ अपलोड करेगा।

xviii. प्रत्येक दुकान/दुकानों के समूह हेतु आवेदन का अलग–अलग Lottery ID रहेगा। प्रत्येक दुकान/दुकानों के समूह के लिए आवेदक को नियमानुसार अलग–अलग आवेदन शुल्क (18%GST सहित) एवं धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) भुगतान करना होगा।

xix. खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु प्रतिभागी का आवेदन तभी पूर्ण माना जायेगा, जब उनके द्वारा समर्पित आवेदन के साथ सभी वांछित दस्तावेज एवं निर्धारित आवेदन शुल्क (18%GST सहित) एवं धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक (दिनांक 20/08/2025 के रात्रि 11:59 बजे तक) विभागीय बैंक/खाते में प्राप्त हो गई हो अथवा इसकी पुष्टि संबंधित बैंक द्वारा विभाग को कर दी गई हो।

xx. सफल आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन एवं शपथ पत्र के संबंध में किसी भी स्तर पर प्रतिकूल मामला प्रकाश में आने की स्थिति में उनके अहर्त्ता रद्द करते हुए उनकी पात्रता/अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी एवं उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

xxi. खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती कम्प्यूटर पर Randomization के द्वारा किया जायेगा।

xxii. ई–लॉटरी हेतु आवेदन समर्पित करने में किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण हेतु विभागीय स्तर पर एक Helpdesk का गठन किया गया है, जिसका मोबाईल संख्या–9430321831 (सामान्य कॉल), 9508065730 (Whatsapp मैसेज) एवं ई–मेल आईडी – excise.jhr@gmail.com है। उक्त मोबाईल संख्या प्रत्येक दिन के पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक क्रियाशील रहेगी।